

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय

20/07/25

कि. प्र. अ. अ.

मुकदमा

अ. अ.

21/8/25

बनाम

कि. प्र. अ. अ.

किस्म मुकदमा

L.P.A. - 136

नं.

75

दि. 20/25

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस्म हुकम की तारीख में जारी हुए
6/8/25	<p>राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पर बहस कर प्रार्थना-पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 11/8/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">3/11/25</p>	
11/8/25	<p>पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम बृजेशपुरा के खाता संख्या 64 व 65 में नामान्तरण संख्या 728 दिनांक 22.07.2025 विरासत द्वारा चन्द्रप्रकाश पुत्र धनपाल उर्फ के वारीसान लीलाबाई लटूरलाल का नाम दर्ज हुआ। उक्त खातों में लीलाबाई पत्नि स्व. धनपाल हिस्सा 1/6 एक प्रविष्टि पूर्व से ही दर्ज है। चन्द्रप्रकाश पुत्र धनपाल उर्फ धनराज के फौती नामान्तरण से उक्त नाम की दोहरी प्रविष्टि दर्ज हुई जिसे दुरुस्त करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा आवेदन किया है। ग्राम बृजेशपुरा के खाता संख्या 64 व 65 में विरासत द्वारा लीलाबाई लटूरलाल की एन्ट्री हुई है। जिसमें खातेदार का संबंध दर्ज नहीं है। जिससे खाता अपवादित हो गया है। तथा अन्य कार्य सीमित हो गया है। जिसे दुरुस्त किया जाना है। अतः उक्त प्रविष्टियों को दुरुस्त किया जाना है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावे।</p> <p>पत्रावली एवं सलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि ग्राम बृजेशपुरा के खाता संख्या 64 व 65 में विरासत द्वारा लीलाबाई लटूरलाल की एन्ट्री हुई है। जिसमें खातेदार का संबंध दर्ज नहीं है। उक्त त्रुटी ऑनलाईन म्यूटेशन के कारण हुई है। जिसकी शुद्धि किया जाना उचित है। उपरोक्तानुसार बाद विवेचन प्रार्थना पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जात है कि ग्राम बृजेशपुरा के खाता संख्या 64 व 65 में लीलाबाई लटूरलाल हिस्सा 1/6 व लीलाबाई पत्नि स्व. धनपाल हिस्सा 1/6 के स्थान पर लीलाबाई पत्नि स्व. धनपाल हिस्सा 1/3 दर्ज किया जावे।</p> <p>उक्त निर्णय आज दिनांक 11/8/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">3/11/25</p>	



उपसह न्यायाधीश
कोटा